न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 09/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. रूगनाथ पुत्र चिमाराम जाति जाट (जाणी) निवासी बायतू भीमजी जिला बाड़मेर (मैसर्स खेमाबाबा भोजनालय, चारलाई, कल्याणपुर, बाड़मेर का मैनेजर)
2. चेतनराम पुत्र रतनाराम जाति जाट (जाणी) निवासी बायतू भीमजी जिला बाड़मेर (मैसर्स खेमाबाबा भोजनालय, चारलाई, कल्याणपुर, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स खेमाबाबा भोजनालय, चारलाई, कल्याणपुर, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **13.01.2022** को एक टीन में भरा हुआ खाद्य पदार्थ **घी (खुला)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 एमएल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1508** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना प्रयोगशाला जांच में किसी प्रकार से मानव स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होना नहीं पाया गया है। लिहाजा प्रस्तुत परिवाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **10.02.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का मानक स्तर Absent के मुकाबले Present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं होने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम 2011 के विनियम 2.3.7(2) का भी उल्लंघन है। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम के उल्लंघन के संबंध में कोई ठोस प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के साथ–साथ विनियमों की पालना के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की [illegible] की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की [illegible] प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं प[illegible]र्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 200[illegible] प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

रूप से **रूपये** 50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested